न्यायालय जिला कलेक्टर, दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

पीठासीन अधिकारी—नरेश कुमार शर्मा
आई0ए0एस0

प्रा0 पत्र सं0 11/2017

तहसीलदार, तहसील नॉगल राजावतान जिला दौसा राजस्थान ..प्रार्थी

बनाम

1. बलदेव पुत्र मांगीलाल जाति गुर्जर निवासी खवारावजी तहसील नॉगल राजावतान जिला दौसा राजस्थान
2. आवंटन सलाहकार समिति उप जिला कलेक्टर, दौसा ..अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अ0धा0 14 (4)
भू—आवण्टन नियम—1970

उपस्थिति—1. श्री चंद्र शेखर शर्मा, राजकीय अधिवक्ता, पैरोकार सरकार
2. श्री हेमराज गुर्जर, अधिवक्ता अप्रार्थी सं0 एक की ओर से

निर्णय दिनांक: 24.01.2018

संक्षिप्त वृतांत प्रा0 पत्र 14 (4) इस प्रकार है कि आवंटन सलाहकार समिति द्वारा दिनांक 02.06.1999 को **ग्राम खवारावजी** तहसील नॉगल राजवतान के आ0ख0नं0 2727 रकबा 0.09, 2769 रकबा 0.09 व 4327 रकबा 0.10 है0 भूमि का आवंटन अप्रार्थी बलदेव को किया गया। अप्रार्थी द्वारा आवण्टन की शर्तो की पालना नहीं करने के कारण तहसीलदार, नॉगल राजावतान द्वारा यह प्रार्थना पत्र अ0धा0 14 (4) भू—आवण्टन नियम—1970 के तहत इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

प्रा0 पत्र 14 (4) दर्ज रजिस्टर किया गया । अप्रार्थी को तलब किया गया । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मंगवायी गयी ।

राजकीय अधिवक्ता की बहस में दलील है कि आवंटन सलाहकार समिति द्वारा दिनांक 02.06.1999 को **ग्राम खवारावजी** तहसील नॉगल राजवतान के आ0ख0नं0 2727 रकबा 0.09, 2769 रकबा 0.09 व 4327 रकबा 0.10 है0 भूमि का आवंटन अप्रार्थी बलदेव को किया गया। किंतु अप्रार्थी द्वारा आवण्टित भूमि की आवंटन की शर्तो की पालना नहीं की गई। मौके पर भूमि खाली (पडत) पडी हुई हैं । भूमि आज तक भी गैर खातेदारी दर्ज है। अतः

आवंटन की शर्तो की पालना नहीं करने के कारण आवंटन निरस्त योग्य है। आवंटन निरस्त किया जावें।

विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थी की बहस में दलील है कि मौके पर भूमि खाली होने पर अप्रार्थी द्वारा विधिवत आवेदन किया गया। जिसकी जॉच पटवारी हल्का से करवाने के बाद आवंटन सलाहकार समिति द्वारा दिनांक 02.06.1999 को **ग्राम खवारावजी** तहसील नॉगल राजवतान के आ0ख0नं0 2727 रकबा 0.09, 2769 रकबा 0.09 व 4327 रकबा 0.10 है0 भूमि का आवंटन किया गया था। आवंटित भूमि पर अप्रार्थी का काब्जा है और उस पर खेती की जाती है। अतः प्रार्थना–पत्र खारिज किया जावें एवं आवंटन बहाल रखा जावें।

उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से प्रकट होता है कि अप्रार्थी द्वारा आवंटन सलाहकार समिति के समक्ष भूमि आवंटन हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत करने पर उसकी जॉच पटवारी हल्का से करवाई गई। पटवारी हल्का की रिपोर्ट के आधार पर अप्रार्थीगण को आवंटन सलाहकार समिति द्वारा दिनांक 02.06.1999 को **ग्राम खवारावजी** तहसील नॉगल राजवतान के आ0ख0नं0 2727 रकबा 0.09, 2769 रकबा 0.09 व 4327 रकबा 0.10 है0 भूमि का आवंटन अप्रार्थी बलदेव को किया गया। किन्तु अप्रार्थीगण द्वारा आवंटित भूमि की शर्तो की पालना नहीं की गई। क्योंकि मौके पर आज भी भूमि खाली (पडत) पडी हुई है तथा अप्रार्थी के नाम गैर खातेदारी दर्ज है। जबकि आवंटन हुए लगभग 18 वर्ष बाद भी गैरखातेदारी दर्ज है। इससे स्पष्ट होता कि आवण्टित भूमि का अप्रार्थीगण द्वारा कोई उपयोग नहीं किया जा रहा और आवण्टित भूमि की काश्त में कोई रुचि नहीं ली जा रही है। जिससे आवण्टित भूमि के प्रयोजन ही समाप्त हो जाते है। आवंटित भूमि पर अप्रार्थी का काब्जा होने बाबत कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं किया गया, जिससे उनके कथन की पुष्टि नहीं नहीं होती है। अप्रार्थीगण द्वारा आवंटन की शर्तों की पालना नहीं की गई है। ऐसी स्थिति में आवण्टन खारिज योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी तहसीलदार, नॉगल राजावतान द्वारा प्रस्तुत प्रा0 पत्र 14 (4) स्वीकार किया जाता है। अप्रार्थी के पक्ष में किया गया आवंटन दिनांक 02.06. 1999 खारिज किया जाता है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली निर्णय की प्रति सहित प्रेषित की जावें । बाद पूर्ति पत्रावली प्रविष्ठ लेख भण्डार हो।

(नरेश कुमार शर्मा)
जिला कलेक्टर, दौसा
जिला कलेक्टर,दौसा

निर्णय आज दिनांकः 24 जनवरी,2018 को लिखवाया जाकर मेरे हस्ताक्षरित एवं न्यायालय की मुद्रांकित खुले न्यायालय सुनाया गया ।

(नरेश कुमार शर्मा)
जिला कलेक्टर, दौसा
जिला कलेक्टर,दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official